भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 170

जिसका उत्तर सोमवार, 1 दिसम्बर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

बैंकों की ऋण देने की परिपाटियां

170. श्री इटेला राजेंदर:
श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बैंकों को ऋण देने की परिपाटियों का अनुशासित ढंग से अनुपालन करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं कि बैंक ऋण खातों में उचित ऋण परिपाटियों और दंड शुल्क का पालन करें। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य बैंकों की ऋण देने की परिपाटियों में निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा देना, दंड प्रभार लगाने में विभिन्न परिपाटियों से उत्पन्न होने वाली ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना और यह सुनिश्चित करना है कि उधारकर्ताओं के साथ उचित व्यवहार किया जाए।

इसके अलावा, बैंकों ने अपने-अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति द्वारा शासित एक व्यापक ऋण मूल्यांकन प्रणाली स्थापित की है, जिसकी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए बाजार की प्रचलित प्रवृत्तियों और गतिशीलता, विनियामक दिशानिर्देशों आदि के आधार पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, ऋण जोखिम मॉडलों की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम मूल्यांकन मॉडलों का समय-समय पर सत्यापन और पुनर्संयोजन किया जा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ ऋण मूल्यांकन सृजित करने और ऋण की गुणवत्ता और ऋण अनुशासन में सुधार करने के लिए विभिन्न सुधार उपाय भी किए हैं। इनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल हैं

i. बैंकों द्वारा ऋण प्रबंधन प्रणाली और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना।

ii. बैंकों में प्रौद्योगिकी और डेटा-संचालित जोखिम स्कोरिंग और जांच प्रणाली की स्थापना जो व्यापक रूप से तीसरे पक्ष के डेटा और गैर-वित्तीय जोखिम कारकों को कारक बनाती है और उच्च जोखिम वाले मामलों की उच्च जांच के लिए सुविधा प्रदान करती है।

iii. बैंकों में जोखिम उठाने की क्षमता की रूपरेखा तैयार करना, तथा जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण का बेहतर अनुपालन।

iv. बेहतर ऋण नीतियों को अपनाना जो बेहतर कंसोर्टियम ऋण, नकदी प्रवाह की रिंग-फेंसिंग और संवितरण व्यवस्था प्रदान करती हैं।

v. बाजार से मुख्य जोखिम अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी की भर्ती, जो विनियमों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सीधे बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे।

vi. उन्नत पहुंच एवं सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) ढांचे के माध्यम से, विकसित हो रहे इकोसिस्टम के साथ तालमेल बिठाते हुए वृद्धिशील सुधारों की एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया को पीएसबी में संस्थागत रूप दिया गया है। निरंतर ध्यानाकर्षण के क्षेत्रों में - शासन, विवेकपूर्ण ऋण, जोखिम प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और डेटा-संचालित बैंकिंग और परिणाम-केंद्रित मानव संसाधन शामिल हैं।

*****